

19



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/2017 निगरानी I/निगरानी/शिवपुरी/शिवपुरी/2017/1989

दिनांक 29-6-17 को  
श्री सुन्दरम श्रीवास्तव  
का नाम इला अर्जुन /

बस  
29-6-17

1. रामस्वरूप पुत्र श्री लोहरे
2. सरवन पुत्र श्री लोहरे
3. पूरम पुत्र श्री शिवचरण
4. प्रताप पुत्र श्री रामस्वरूप
5. पदम पुत्र श्री रामस्वरूप
6. भूरा पुत्र श्री रामस्वरूप
7. महेन्द्र पुत्र श्री जवाहरलाल
8. कल्ला पुत्र श्री सरमन
9. लोकेन्द्र पुत्र श्री जबाहरलाल

समस्त जाति रावत, समस्त व्यवसाय-कृषि  
निवासीगण-ग्राम टोड़ा तहसील बेराड़  
जिला शिवपुरी ..... आवेदकगण

**बनाम**

लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति  
धाकड़, निवासी-ग्राम टोड़ा, तहसील बेराड़  
जिला शिवपुरी

.....अनावेदक

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/1969

जिला – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२२-11-17	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह निगरानी तहसीलदार बैराढ़ के प्रकरण क्रमांक 03/16-17/अ-70 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। तहसीलदार के उक्त आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा दिनांक 24.06.2017 को आदेश पारित किया गया है :-</p> <p>प्रकरण पेश। आवेदक मय अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण पूर्ववत। सी.एफ. 04.07.2017</p> <p>उक्त आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करना यह दर्शाता है कि आवेदक जान-बूझकर प्रकरण को लंबित रखना चाहते हैं, जो न्यायसंगत नहीं है। तहसीलदार के अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण में दिनांक 17.07.2017 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो जाती है। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है।</p> <p>उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हों।</p>	<p> प्रशासकीय सदस्य</p>

3